उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-06/2023/105/26-3-2023/CN-1127061
लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2023

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-105/2022/2167/26-3-2022, दिनांक-19.09.2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मेहनगर-आजमगढ़, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खागा-फतेहपुर एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौगढ़, गोलाबाद-चन्दौली में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0-332.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-19.09.2022 में अंकित तालिका के कुल योग में अंकित धनराशि रूपये-332.73 लाख के स्थान पर धनराशि रूपये-332.33 लाख अंकित हो गयी है। अतः उक्त धनराशि रूपये-332.33 लाख के स्थान धनराशि रूपये-332.73 लाख पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या-105/2022/2167/26-3-2022, दिनांक-19.09.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

पृसं0-06/2023/105 (1)/26-3-2023 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, आजमगढ़, फतेहपुर एवं चन्दौली।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़, फतेहपुर एवं चन्दौली।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11-गार्डफाइल।

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।